भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 534
दिनांक 04 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष

534. श्री सुकान्त मजूमदार:
श्री जयंत सिन्हा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला कोष(आरएमके) के तहत किए जाने वाले परिकल्पित कार्यों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित जिले-वार और राज्य-वार कितनी निधि आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;
(ख) क्या पश्चिम बंगाल में आरएमके के तहत बड़ी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुगम बनाने में आरएमके की क्या भूमिका है और सरकार द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार ने आरएमके के तहत प्रदान किए जाने वाली ऋण सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : निर्धन महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा 1993 में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के तौर पर राष्ट्रीय महिला कोष(आरएमके) की स्थापना की गई। आरएमके अनौपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंद और निर्धन महिलाओं को एक ग्राहक अनुकूल माध्यम से, कोलेटरल प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। आय सृजन की गतिविधियों(आईजीए), आवास, सूक्ष्म उद्यमों, पारिवारिक जरूरतों आदि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। आरएमके द्वारा 31.03.2020 तक निधियों का संवितरण किया गया। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित, स्वीकृत/उपयोग की गई राशि का विवरण **अनुलग्नक-।** में दिया गया है। आरएमके द्वारा जिले-वार डाटा नहीं रखा जाता है।
(ख) : 31 मार्च, 2020 तक पश्चिम बंगाल राज्य को 2746.29 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई। इसमें से, 2292.79 लाख रुपये का संवितरण मध्यस्थ सूक्ष्म वित्तीय संगठनों(आईएमओ) को किया गया जिसमें से 453.50 लाख रुपये का उपयोग/संवितरण नहीं किया गया।

(ग) : प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गरीब महिला लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर कार्यरत मध्यस्थ सूक्ष्म वित्तीय संगठनों(आईएमओ) जैसे गैर-सरकारी संगठनों, महिला संघों, सहकारी समितियों, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत लाभ रहित कंपनियों और अन्य स्वैच्छिक/सिविल सोसायटी संगठनों आदि के माध्यम से आजीविका और आय सृजन की गतिविधियों, आवास, सूक्ष्म उद्यमों आदि के लिए जरूरी कोलेटरल रहित ग्राहक अनुकूल और सरल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आरएमके ने स्वयं-

सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सूक्ष्म वित्तपोषण, थ्रिफ्ट और क्रैडिट, क्षमता-निर्माण और बाजार संपर्कों के साथ गरीब महिलाओं के लिए उद्यम विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण की धारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई संवर्द्धन उपाय किए हैं। स्थापना के समय से आरएमके द्वारा 1728 आईएमओ को 31,513 लाख रुपये संवितरित किए गए हैं, जिनसे 7,41,163 महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

(घ) : वर्तमान परिदृश्य में, सरकार की विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध होने से, आरएमके की प्रासंगिकता और उपयोगिता नहीं रही है। अतएव, प्रयासों के दोहराव और वित्तीय संसाधनों के अपव्यय से बचने के लिए आरएमके को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय महिला कोष' के संबंध में डॉ. सुकान्त मजूमदार और श्री जयंत सिन्हा द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 534 के भाग(क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

01/04/2018 से 31/03/2019 तक आबंटित, स्वीकृत और संवितरित निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित निधि	स्वीकृत/संवितरित
1	आंध्र प्रदेश	30.00	30.00
2	असम	25.00	
3	बिहार	40.00	
4	हरियाणा	40.00	
5	कर्नाटक	65.00	105.00
6	मध्य प्रदेश	55.00	110.00
7	महाराष्ट्र	47.50	35.00
8	ओडिशा	17.50	35.00
9	राजस्थान	34.00	
10	तमिलनाडु	172.50	110.00
11	उत्तर प्रदेश	27.50	
12	उत्तराखंड	58.00	
13	पश्चिम बंगाल	154.50	50.00
	कुल	**766.50**	**475.00**

01/04/2019 से 31/03/2020 तक आबंटित, स्वीकृत और संवितरित निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित निधि	स्वीकृत/संवितरित
1	हरियाणा	5.00	5.00
2	कर्नाटक	40.00	
3	मध्य प्रदेश	95.00	40.00
4	महाराष्ट्र	17.50	
5	ओडिशा	47.50	30.00
6	तमिलनाडु	52.50	20.00
7	पश्चिम बंगाल	78.50	65.00
	कुल	**336.00**	**160.00**

****